

98

बिहार सरकार
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग
सं०सं०-३/आ०वि०(संघा)-०१-०२/२०१८

176
28.03.18

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना ।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत मुख्य शीर्ष "2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-01 अनुसूचित जातियों का कल्याण-277-शिक्षा, 0003-आवासीय विद्यालय" विपत्र कोड-44-2225012770003"(मॉग संख्या-44) के 2101-सामग्री एवं पूर्तियां ईकाई में 5500.00 लाख (पचपन करोड़ रु०) एवं 2802-सविदा सेवायें ईकाई में ₹1000.00 लाख (दस करोड़ रु०) के उपबंधित राशि में संभावित बचत राशि की राशि से मुख्य शीर्ष "2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण- 01 अनुसूचित जातियों का कल्याण-277- शिक्षा, 0003-आवासीय विद्यालय" विपत्र कोड- 44-2225012770003" (मॉग संख्या-44) के अन्तर्गत 0101-वेतन इकाई में ₹ 130.00 लाख (एक करोड़ तीस लाख रु०), 0103-जीवन यापन भत्ता ईकाई में ₹180.00 लाख (एक करोड़ अस्सी लाख रु०), 0104 मकान किराया भत्ता में ₹20.00(बीस लाख रु०) एवं 0106-चिकित्सा भत्ता में ₹5.00 लाख(पाँच लाख रु०) इस प्रकार कुल ₹ 335.00 (तीन करोड़ पैतीस लाख रु०) मात्र का पुनर्विनियोग कर उपबन्ध के स्वीकृति का प्रस्ताव ।

आदेश- स्वीकृत ।

2- बिहार वित्तीय नियमावली भाग 1 के नियम 489 योजना अन्तर्गत संलग्न अनुसूची के अनुसार मुख्य शीर्ष "2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-01 अनुसूचित जातियों का कल्याण-277- शिक्षा, 0003-आवासीय विद्यालय" विपत्र कोड-44-2225012770003" (मॉग संख्या-44) के अन्तर्गत 0101-वेतन इकाई में ₹ 130.00 लाख (एक करोड़ तीस लाख रु०), 0103-जीवन यापन भत्ता ईकाई में ₹180.00 लाख (एक करोड़ अस्सी लाख रु०), 0104 मकान किराया भत्ता में ₹20.00(बीस लाख रु०) एवं 0106-चिकित्सा भत्ता में ₹5.00 लाख(पाँच लाख रु०) इस प्रकार कुल ₹ 335.00 (तीन करोड़ पैतीस लाख रु०) मात्र का पुनर्विनियोग के माध्यम से अतिरिक्त उपबन्ध


राशि की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

3- प्रस्ताव में वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है ।

4- प्रस्ताव में विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है ।

5- इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिला कल्याण पदाधिकारी, होंगे ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


28-3-18
(प्रेम सिंह मिश्रा)
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक- सं०सं०-३/आ०वि०(संघा)-०१-०२/२०१८

176


प्रतिलिपि:- अनुसूची के तीन प्रतियों के साथ वित्त विभाग, बजट शाखा, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।


पटना,दिनांक- 28.03.18

ज्ञापांक- सं०सं०-३/आ०वि०(संघा)- ०१-०२/२०१८

176

प्रतिलिपि:- अनुसूची के प्रतियों के साथ सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/सभी प्रमंडल उपनिदेशक कल्याण / सभी जिला कल्याण पदाधिकारी/ प्रभारी पदाधिकारी, बजट शाखा, अनु०जाति एवं अनु०जनजाति कल्याण विभाग, बिहार,पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, बजट शाखा (8 डी०)/सांख्यिकी कोपांग अनु०जाति एवं अनु०जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।


28-3-18
सरकार के सचिव ।
पटना,दिनांक- 28.03.18


सरकार के सचिव । 28-3-18

7